न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2021

केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं।

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री देवकी नन्दन कुमावत पुत्र श्री गणेश नारायण, फ्लेट नं0 404, धनखड रेजीडेन्सी, अग्रसेन सर्किल, झुंझुनूं।
2. श्रीमती अनिता देवी पत्नि श्री देवकी नन्दन, देवकी नन्दन आर्ट,स्टेशन रोड, झुंझुनूं।
3. जमानतदार श्री चन्दन कुमावत पुत्र श्री सत्य नारायण कुमावत, वार्ड नं0 24, राणासरिया कुआं के पास, झुंझुनूं राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 (आगे एक्ट से संबोधित किया गया है।) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध में।

——

उपस्थितः–
1 श्री दीपक सैनी – प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 15.03.2021

प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी 1. श्री देवकी नन्दन कुमावत पुत्र श्री गणेश नारायण, फ्लेट नं0 404, धनखड रेजीडेन्सी, अग्रसेन सर्किल, झुंझुनूं 2. श्रीमती अनिता देवी पत्नि श्री देवकी नन्दन, देवकी नन्दन आर्ट,स्टेशन रोड, झुंझुनूं 3. जमानतदार श्री चन्दन कुमावत पुत्र श्री सत्य नारायण कुमावत, वार्ड नं0 24, राणासरिया कुआं के पास, झुंझुनूं राजस्थान को राशि रूप्ये 17,60,000/– का ऋण/सुविधा स्वीकृत की थी। उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि 16,92,505.37/– दिनांक 01.10.2019 से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त वसूल करना है। ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति जो फ्लेट नं0 404 चतुर्थ तल, धनखड रेजीडेन्सी, प्लाट नं0 V–65 अग्रसेन सर्किल के पास, झुंझुनूं राजस्थान मे स्थित है जो श्री देवकी नन्दन कुमावत पुत्र गणेश नारायण के नाम से है। सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया है और बैंक का उक्त सम्पत्ति पर विधिमान्य प्रतिभूति हित है। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 मे की जा रही वसूली कार्यवही परिसीमा अवधि के भीतर है। ऋणी/जमानतदार ने बैंक द्वारा दी गई ऋण/सुविधा के पुर्नभुगतान मे व्यक्तिकम किया है। ऋणी/जमानतदार द्वारा वित्तीय सहायता के प्रतिसंदाय मे व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप उधार लेने वाले के खाते को अपालन आस्ति (एन0पी0ए0) के रूपमे वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने ऋणी/जमानतदार को उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस की तामील

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(47)

सम्यक रूप से कर दी गई है। ऋणी/जमानतदार को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिये मांग नोटिस मे दी गई अवधि मे बैंक की बकाया सम्पूर्ण राशि का भुगतान नही किया गया है और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 134 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे मे लेने का हकदार है। बैंक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया है। उपरोक्त प्रकरण मे सक्षम न्यायालय/अधीकरण मे कोई वाद या स्थगन मेरी जानकारी मे नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नही। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 श्री देवकी नन्दन कुमावत पुत्र गणेश नारायण के नाम से अचल सम्पत्ति जो फ्लेट नं0 404 चतुर्थ तल, धनखड रेजीडेन्सी, प्लाट नं0 V–65 अग्रसेन सर्किल के पास, झुंझुनूं राजस्थान मे स्थित भूमि व निर्मित आवासीय सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी केनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/03/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू